UPVR010053332026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश **(**एस **0** सी**0**/एस **0** टी**0** एक्ट**),** वाराणसी।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या- **287/2026**

इन्द्रावती देवी-----बनाम------दुलचन्द्र पटेल वगै०

अन्तर्गत धारा-**173(4)** बी**0** एन **0** एस **0** एस **0**
थाना-जन्सा**,** जिला वाराणसी।

दिनांक-**16.06.2026**

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 पर उसके विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है तथा प्रार्थनापत्र एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों को अवलोकन किया।

संक्षेप में आवेदिका के प्रार्थनापत्र का कथानक है कि प्रार्थिनी उपरोक्त पते की निवासिनी व अनुसूचित जाति (चमार जाति) की गरीब महिला है और विपक्षीगण प्रार्थिनी के गाँव के ही रहने वाले एक दबंग व बाहुबली किस्म के लोग है, जिनका गाँव में एक नाजायज गोल कायम है। प्रार्थिनी का विपक्षीगण से कुछ विवाद के चलते विपक्षीगण प्रार्थिनी से नाराज रहते है। दिनांक 05.04.2026 ई० को दिन में करीब 1:00 बजे विपक्षीगण एक राय होकर दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों नाम व पता अज्ञात, जिन्हें देखकर प्रार्थिनी पहचान सकती है, के साथ हम प्रार्थिनी के दरवाजे पर चढ़ आये और आकर जबरिया जमीन विवाद का हवाला देकर अनावश्यक हम प्रार्थिनी को माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हुये कहने लगे कि चमार-सियार की जात साली माधरचोद तुम्हारा खिड़की गलत दिशा में खुला है, कहते हुये प्रार्थिनी के पुराने भवन में निर्मित खिड़की को जबरियाँ तोड़ दिये। जब हम प्रार्थिनी ने खिड़की तोड़ने व गाली-गलौज का विरोध किया तो विपक्षी हरिश्चन्द्र प्रार्थिनी को जान से मारने हेतु फावड़ा तान लिया। विपक्षीगण के उग्र रूप को देखते हुये वहाँ उपस्थित साक्षीगण व अन्य लोंगों ने किसी तरह बीच-बचाव किया और प्रार्थिनी की जान बचायी, किन्तु विपक्षीगण जाते-जाते ऐलानियाँ तौर पर धमकी देते हुए कहे कि माधरचोद चमारिन ऐसे ही झगड़ा बरकरार रहा तो तुम्हारे परिवार में किसी न किसी की हत्या करा दूँगा, कहते चले गये। प्रार्थिनी ने तत्काल घटना की लिखित सूचना थाना जन्सा, वाराणसी पर दिया। किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और हर दो-चार दिन पर प्रार्थिनी को कार्यवाही का आश्वासन देकर प्रार्थिनी को टालते रहे, तब प्रार्थिनी ने विवश होकर दिनांक 05-05-2026 को जरिए रजिस्टर्ड डाक थाना प्रभारी, थाना जन्सा, वाराणसी व श्रीमान् पुलिस कमिश्नर, वाराणसी व अनु० जाति/ जनजाति आयोग, उ०प्र०, लखनऊ, व केन्द्रीय अनु० जाति आयोग, लखनऊ को सूचना दिया, किन्तु अभी तक विपक्षीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विपक्षीगण अत्यन्त मनबढ़, दबंग, बाहुबली किस्म के लोग हैं, जिनका गाँव में एक नाजायज गोल है और उनके आतंक से प्रार्थिनी व प्रार्थिनी का पूरा परिवार भयभीत है। प्रार्थिनी के पास श्रीमान् माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने व गुहार लगाने के अलावा कोई अन्य उपाय शेष नहीं है। लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सेवार्पित कर रही है। उपरोक्त विपक्षीगण में से दो नाम, पता अज्ञात व्यक्ति हैं एवं अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध संज्ञेय प्रकृति का है, जिसकी विवेचना कराया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है, जिससे कि प्रकरण निरावरण होगी और न्याय की मंशा को बल मिलेगा। विपक्षीगण में से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है और न ही नाबालिग है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना-पत्र के प्रकाश में प्राथमिकी पंजीकृत कर विवेचना हेतु थाना प्रभारी, थाना जन्सा, वाराणसी को आदेशित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है

Digitally signed by SUDHAKAR RAI
Date: 2026.06.19 08:17:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदिका द्वारा कथन के समर्थन में आधार कार्ड की छायाप्रति, डाक रजिस्ट्री रसीद की प्रति, एक किता पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है।

थाने से आख्या आहूत है जिसमें यह उल्लिखित है कि थाने पर उक्त प्रकरण के संबंध में कोई अभियोग दर्ज नहीं है।

प्रार्थनापत्र को देखा जाये तो आवेदिका ने अपने प्रार्थनापत्र में घटना का सम्पूर्ण विवरण, दिनांक, समय एवं स्थान एवं विपक्षीगण के नाम का उल्लेख किया है। आवेदिका के साथ जो कथित रूप से घटना कारित किया जाना कहा गया है, उसकी सम्पूर्ण जानकारी उसे है, जिसके संबंध में आवेदिका एवं गवाह के माध्यम से स्वयं न्यायालय के समक्ष दोषारोपण के संबंध में सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत कर घटना को साबित कर सकती है।

आवेदिका के प्रार्थनापत्र में दर्शित तथ्यों एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Mohd. Yusuf Vs Smt Afaq Jahan 2006(54) ACC 530 Supreme Court** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के आलोक में विवेचना कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थनापत्र 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आवेदिका का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक- **14.08.2026** को पेश हो।

स्पष्ट किया जाता है कि मामले को परिवाद दर्ज करने पर जो प्रस्तावित अभियुक्तगण हैं उनको नोटिस माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायिक निर्णयन **Sri Basanagouda R. Patil Vs Sri Shivananda S. Patil Criminal petition No. 7526 of 2004 Judgment Dated 03.12.2024** के अनुक्रम में प्रस्तावित अभियुक्तगण को तलबी के पूर्व श्रवण किया जायेगा।

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
वाराणसी।
JO Code UP6256